



FULL TITTLE OF PROJECT: Diversion of 0.0590172 Hectare of protected Forest land under social forestry division, Hathras for access road to Retail Outlet of M/S Bharat Petroleum corporation Ltd, at Village- Naugawana Khasra No.3179, in chainage 38.790 on RHS of Mathura-Sadabad Road, Tehsil -Sadabad District- Hathras, Uttarpradesh

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या- 7314/14-3-1980/344, दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

- भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षि/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- वाचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
- भूमि का सयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किया जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी देख रेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए गुनारे आदि कि देख भाल करेगा।
- हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जंतुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा सम्भव प्रस्तावित ना किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जान सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जंतुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
- सिचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पोधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- वाचक विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को ना रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग का प्रत्यावर्तित हो जाएगी।
- सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बंध में प्रमुख अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बंधित पत्र संख्या- 608/सी दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वनमार्गों का मामूली फेरबदल कर पक्का कराना होगा, बशर्त ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- वन भूमि का मूल्य संवन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो वाचक विभाग को मान्य होगा।
- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव ना हो सके और उसका पतन आवश्यक हो ता याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

डी-1, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी, पोस्ट-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281 005 (उ.प्र.) दूरभाष : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 फैक्स : 91-0565-2480208
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4-6, करीमभाँय रोड, बैलाई एस्टेट, पोस्ट बॉक्स सं० 688, मुम्बई - 400 001



FULL TITTLE OF PROJECT: Diversion of 0.0590172 Hectare of protected Forest land under social forestry division, Hathras for access road to Retail Outlet of M/S Bharat Petroleum corporation Ltd, at Village- Naugawana Khasra No.3179, in chainage 38.790 on RHS of Mathura-Sadabad Road, Tehsil -Sadabad District- Hathras, Uttarpradesh

14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। किसी प्रकार बाँज पेड़ों का पातन भी वर्जित है ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खंभों को ऊँचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों कि संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर संबन्धित वन संरक्षक अनुमोदन अनिवार्य हैं।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।
17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगा।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाए, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए।

FOR Bharat Petroleum Corporation Ltd.

SUPRATIM BHATTACHARJEE
Territory Manager(Retail),
Mathura

Place: Mathura
Date: 12-06-2020